न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, केकड़ी, जिला–अजमेर

पीठासीन अधिकारी	**–**	**शुभम गुप्ता, आर.जे.एस.**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	**–**	**185/2017**
सी.आई.एस. नंबर	**–**	**185/2017**
सीएनआर नंबर	**–**	**RJAJ140003312017**

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

ब ना म

1. राकेश पुत्र श्रीधर, उम्र 20 साल,
2. सांवरनाथ पुत्र बाबूनाथ, उम्र 20 साल,
3. देवेन्द्र गुर्जर पुत्र सांवरलाल

समस्त निवासीगण बड़ली थाना भिनाय, जिला अजमेर।

.....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व 4/21 एमएमआरडी एक्ट

उपस्थितिः–

1. अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य.
2. श्री महावीर गुर्जर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

–––––

:: नि र्ण य :: **दिनांकः 16.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.03.2016 को LOI धारक द्वारा कार्यालय सहायक अभियंता सावर खान एवं भू विज्ञान विभाग बड़ली क्षेत्र में 3 बजरी के ट्रेक्टर भरकर चोरी से निकल रहे हैं कि मौका जांच करने मौके पर पहुंचे तो बड़ी LOI क्षेत्र में 3 ट्रेक्टर बजरी भर रहे थे तथा अलोई धारक के प्रतिनिधि राजेन्द्र सिंह व गजेन्द्र सिंह ने बताया कि उन्होंने ही सरकारी दफ्तरों में सूचना दी कि उनके अलोई क्षेत्र में से 3 ट्रेक्टर चोरी से बजरी भरकर ले जा रहे हैं। मौके पर तीनों ट्रेक्टरों के पास अलोई क्षेत्र बडली 8x5x1 मीटर का खड्डा पाया गया व तीनों ट्रेक्टर के चालकों से पूछताछ की गई तो एक ट्रेक्टर सोनालिका डीआई–750 III ब्लू कलर बिना नंबर के चालक ने अपना नाम सांवरा नाथ बताया व वाहन के मालिक का नाम शैतान माली बताया। दूसरा ट्रेक्टर सोनालिका इंटरनेशनल डीआई 750 ब्लू रंग बिना नंबर से पूछताछ की तो अपना नाम राकेश माली व ट्रेक्टर मालिक का नाम शैतान माली बताया। तीसरा ट्रेक्टर नंबर आरजे–01–आर–8269 है, उसके ट्रेक्टर चालक ने अपना नाम

Authenticated document

देवेन्द्र गुर्जर बताया और यह भी कहा कि ट्रेक्टर का स्वयं ही मालिक है। अलोई धारक के प्रतिनिधि ने बताया कि ये ट्रेक्टर हमेशा चोरी छिपे उनके अलोई क्षेत्र से बजरी भरकर ले जाते हैं तथा इन्हें रॉयल्टी व लीज फीस कटवाने को कहते हैं तो धमकी देते हैं कि रसीद नहीं कटवाएंगे और अलोई बंद करवाने की धमकी देते हैं......आदि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भिनाय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 107/16 अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व 4/21 एमएमडीआर एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं बाद अनुसंधान पुलिस थाना भिनाय द्वारा अभियुक्तगण राकेश, सांवरनाथ, देवेन्द्र गुर्जर के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व 4/21 एमएमडीआर एक्ट में अपराध प्रमाणित पाकर उक्त धाराओं में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व 4/21 एमएमडीआर एक्ट के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर आरोपों से इनकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

3. तत्पश्चात्, यह प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश से न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, केकड़ी से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण को इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम
पीडब्ल्यू–1	रंगलाल
पीडब्ल्यू–2	शंकरलाल
पीडब्ल्यू–3	शिवचरण सिंह
पीडब्ल्यू–4	तीर्थराज चौहान
पीडबल्यू–5	दिलीप सिंह

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम
–	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम राकेश	प्रदर्श पी–1
2	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सांवरनाथ	प्रदर्श पी–2
3	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम देवेन्द्र गुर्जर	प्रदर्श पी–3
4	फर्द जब्ती ट्रेक्टर	प्रदर्श पी–4
5	जमाबंदी की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–5
6	नक्शा ट्रेस	प्रदर्श पी–6
7	मालखाना रजिस्टर	प्रदर्श पी–7
8	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–7 ए
9	मौका पंचनामा	प्रदर्श पी–7
10	फर्द जब्ती ट्रेक्टर	प्रदर्श पी–8
11	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–9
12	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी–10
13	सुपुर्दगी ट्रेक्टर	प्रदर्श पी–11
14	संविदा	प्रदर्श पी–11
14	नियुक्ति कार्यालय आदेश	प्रदर्श पी–12
15	नक्शा मौका	प्रदर्श पी–13
16	जाब्ते की रवानगी की आमद	प्रदर्श पी–14 व पी–15

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या

Authenticated document

1.	मालखाना रजिस्टर की प्रति	प्रदर्श डी–1

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान के साक्ष्य को गलत होना तथा झूठा फंसाया जाना जाहिर किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:–

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 29.03.2016 को समय 07.00 पीएम या उसके लगभग भीलवाड़ा देवलिया मार्ग पर खारी नदी के पास पुलिस थाना भिनाय आम रास्ते पर बिना सरकारी अनुमति बजरी बेईमानी से लेने का आशय रखे हुए हटाकर व बिना वैध अनुज्ञप्ति अवैध खनन कार्य कर खनिज बजरी को अभियुक्त राकेश द्वारा ट्रेक्टर मय ट्रोली नंबर आरजे–01–आर–8269 व अभियुक्त सांवरनाथ द्वारा सोनालिका डीआई 750 सीएस प्लेट नंबर 4095–एफ–12–एफ–07993 व 0105–जेड–जेड–7916 व अभियुक्त देवेन्द्र द्वारा बिना नंबरी सोनालिका डीआई 740 जिसकी सीएस प्लेट नंबर बी–22653, एसएल 03095 ए 38715 में भरकर धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के तहत चोरी का अपराध तथा धारा 4/21 एमएमआरडी एक्ट के तहत अपराध कारित किया गया?

(2) यदि हां, तो दण्ड की मात्रा क्या होगी?

7. उपर्युक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का विवेचन किया गया। अभियोजन द्वारा मुख्य गवाह के तौर पर पी.ड.–1 रंगलाल को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 30.03.2016 को वह पुलिस थाना भिनाय में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन एफआईआर नंबर 107/16 पुलिस थाना भिनाय अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व 4/21 एमएमआरडी एक्ट में अनुसंधान अधिकारी दिलीप सिंह एएसआई ने समय 06.30 पी.एम. पर थाना भिनाय पर

मुल्जिम राकेश को जरिये फर्द प्रदर्श पी–1 गिरफ्तार किया, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकरण में 06.40 पी.एम. पर थाने पर ही मुल्जिम सांवरनाथ को जरिये फर्द प्रदर्श पी–2 गिरफ्तार किया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुल्जिम की अंगूठा निशानी है तथा उसी दिन उसी स्थान पर उक्त प्रकरण में मुल्जिम देवेंद्र गुर्जर को जरिये फर्द प्रदर्श पी–3 समय 6.50 पी.एम. पर गिरफ्तार किया था, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। उसके साथ कांस्टेबल बलवंत सिंह मौके पर मौजूद थे। फर्दों पर उनके हस्ताक्षर ई से एफ हैं। गिरफ्तारियों की इत्तला शैतान माली को दी थी, जिसके हस्ताक्षर सभी फर्दों पर जी से एच हैं। उसी दिन उक्त प्रकरण में थाना भिनाय पर 07.00 पी.एम. पर 3 ट्रेक्टर मय ट्रॉली मय बजरी जरिये फर्द प्रदर्श पी–4 गिरफ्तार किये गये, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी बलवंत सिंह के हस्ताक्षर हैं। इनमें एक ट्रेक्टर नंबर आर.जे.–01–आर.–8269 डला हुआ था तथा दो ट्रेक्टर सोनालिका रंग नीला बिना नंबरी थे। **जिरह** के दौरान गवाह ने कथन किया है कि गिरफ्तारी दिनांक 29.01.2016 को की थी।

8. गवाह पी.ड. 02 **शंकरलाल** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह सन 2009 से 2016 तक पटवार हल्का देवलिया थाना भिनाय में पटवारी के पद पर था। दिनांक 30.03.2016 को वह श्री दिलीप सिंह आईओ के साथ गांव देवलिया में खसरा संख्या 1414 जिसका क्षेत्रफल 56.11 हैक्टेयर सरकारी भूमि गैर मुमकिन नाला था, पर गया जो पड़त जमीन थी तथा सरकारी थी। इस नाले में जगह–जगह बजरी खनन के खड्डे हो रखे थे। उस जगह पर रिकॉर्ड पुलिस ने उससे मांगा था, जिसकी जमाबंदी प्रमाणित उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी जो प्रदर्श पी–5 तथा उसका नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–6 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुताबिक रिकॉर्ड उक्त भूमि गैर मुमकिन नाला सरकारी भूमि थी। **जिरह** के दौरान गवाह ने यह सुझाव सही बताया है कि प्रदर्श पी–5 व पी–6 से यह कहीं दर्शित नहीं होता कि उक्त खसरा नंबर पर खनन के खड्डे हो रखे हों तथा यह सुझाव सही बताया कि प्रदर्श पी–5 व पी–6 कार्बन प्रति है, जो उसने नहीं दी, उसने तो मूल दी थी। उसने उनकी फोटोप्रति नहीं करवाई थी। गवाह ने यह सुझाव भी सही बताया कि उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई मूल प्रति से पत्रावली में उपलब्ध कार्बन प्रति में कोई कांट छांट की गई हो तो वह नहीं बता सकता है।

9. गवाह पी.ड. 03 **शिवचरण सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 29.03.2016 को वह पुलिस थाना भिनाय में हैड कांस्टेबल के पद पर था, उस समय उसके पास मालखाना प्रभारी का चार्ज था। उस दिन दिलीप सिंह एएसआई ने तीन ट्रेक्टर मय ट्रोली लाकर थाने पर पेश किये। जिन्हें उसके

द्वारा मालखाना की मद सं. 77/16 पर इंद्राज किया गया तथा मूल मालखाना रजिस्टर पेश अदालत है, जो प्रदर्श पी–07 है जिसकी प्रति प्रदर्श पी–07 ए है, जो उसका कलमी है। श्रीमान एसीजेएम 02 केकड़ी के आदेश पर दिनांक 18.05.2016 को ट्रेक्टर संख्या आरजे–36–आरए–2600 का शैतान माली को सुपुर्द किया गया, जिस पर ए से बी उसका इंद्राज और सी से डी शैतान के हस्ताक्षर हैं जो उसके सामने किये थे जिस पर ई से एफ नोट उसके द्वारा अंकित है जिस पर बजरी थाना परिसर में खाली करवायी गयी, का इंद्राज है। इसी प्रकरण में दिनांक 20.04.2016 को माननीय न्यायालय के आदेश पर ट्रेक्टर संख्या आरजे–01–आरए–8269 को सांवरलाल को सुपुर्द किया गया जिस पर जी से एच उसका नोट और आई से जे सांवरलाल के हस्ताक्षर है और के से एल उसका नोट है जिसमें बजरी थाना परिसर में खाली करायी गयी, अंकित है। तथा माननीय न्यायालय के आदेश पर ही दिनांक 18.05.2016 को ट्रेक्टर संख्या आरजे–01–आरए–8525 को शैतान माली को सुपुर्द किया गया जिस पर एम से एन उसका नोट, ओ से पी शैतान के हस्ताक्षर और क्यू से आर उसका नोट है जिस पर बजरी थाना परिसर में खाली करायी गयी अंकित किया गया। ई से एफ, के से एल और क्यू से आर नोट के संबंध में गवाह ने कथन किया कि यह बजरी इन ट्रेक्टरों के साथ लगी ट्रोली में भरी थी जिसे ट्रेक्टर ट्रोली सुपुर्द करते समय थाने पर सुपुर्द कर दिया गया था। **जिरह** के दौरान गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि प्रदर्श पी–7 में प्रविष्टि संख्या 1, 2, 3 में ट्रेक्टर ट्रॉली में बजरी होने का कहीं अंकन नहीं है। गवाह ने यह सुझाव भी सही बताया कि प्रदर्श डी–1 मद संख्या 77/16 की प्रति है, जो मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–7 की प्रति है।

10. गवाह पी.ड. 04 **तीर्थराज चौहान** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह सन 2016 में सावर में खनिज कार्यदेशक के पद पर कार्यरत था। दिनांक 29.03.2016 को कार्यालय सहायक अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग सावर के मौखिक आदेशों की अनुपालना में बड़ली क्षेत्र में तीन बजरी के ट्रेक्टर भरकर चोरी करके निकल रहे हैं, की मौका जांच करने हेतु सांवर से रवाना होकर बडली अलोई क्षेत्र में पहुंचा तो तीन ट्रैक्टर बजरी भर रहे थे, उसी स्थान पर अलोई धारक के प्रतिनिधि राजेन्द्र सिंह पुत्र इंद्र सिंह निवासी महुआ जिला दौसा व गजेन्द्र पुत्र मांगु सिंह निवासी बेगसर जिला नागौर मिले। ट्रेक्टर अलोई क्षेत्र में खड़े थे और उनके पास 8 x 5 x 1 मीटर क्यूब का खड्डा होना पाया गया तत्पश्चात तीनों ट्रेक्टर चालकों से पूछताछ आरंभ की गई। पहला ट्रेक्टर सोनालिका डी.आई. 750111 ब्लू रंग बिना नंबरी चालक ने अपना नाम सांवरा नाथ पुत्र बाबुलाल नाथ उम्र 20 साल, निवासी बडली जिला अजमेर होना बताया और वाहन मालिक का नाम शैतान पुत्र लादू माली, निवासी बडली

होना बताया। दूसरे ट्रेक्टर सोनालिका इंटरनेशनल डीआई 750 ब्लू रंग बिना नंबरी से पूछताछ करने पर ड्राईवर ने अपना नाम राकेश पुत्र श्रीधर माली उम्र 20 साल, निवासी बड़ली जिला अजमेर होना बताया। तीसरा ट्रेक्टर नंबर आरजे–01–आरए–269 उसके ट्रेक्टर चालक ने अपना नाम इंद्र विजय पिता सांवरलाल उम्र 24 साल निवासी बड़ली जिला अजमेर होना बताया और ट्रैक्टर मालिक स्वयं को होना बताया। अलोई धारक के प्रतिनिधि राजेन्द्र सिंह ने बताया कि ये ट्रेक्टर अलोई क्षेत्र से चोरी छिपे बिना रॉयल्टी व लीज फीस दिए चले जाते हैं और रसीद काटने की बात पर कहते हैं कि अलोई बंद करवा देंगे। उसके बाद तीनों ट्रेक्टर अलोई क्षेत्र से मय बजरी आए तो रास्ते में मोतीपुरा चौराहा पर थानाधिकारी मय जाब्ता मिले और ट्रेक्टरों को थाने लाया गया और अवैध खनन और निर्गमन का मुकदमा थाने में दर्ज करवाया गया। उसके द्वारा इस कार्यवाही का मौका पंचनामा प्रदर्श पी–7 मौके पर बनाया गया, जिस पर ए से बी देवेंद्र गुर्जर, सी से डी राकेश माली व एक्स स्थान पर सांवरनाथ की अंगूठा निशानी है। ई से एफ राजेन्द्र सिंह, जी से एच गजेन्द्र सिंह और आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द जब्ती तीन ट्रेक्टर प्रदर्श पी–8 है, जिस पर ए से बी देवेंद्र गुर्जर, सी से डी राकेश माली व एक्स स्थान पर सांवरनाथ की अंगूठा निशानी है व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। वापसी पर उसके द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिसकी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त तीनों वाहन ट्रेक्टर सुपुर्दगी प्रदर्श पी–11 है, जिस पर ए से बी देवेंद्र गुर्जर, सी से डी राकेश माली के हस्ताक्षर हैं एव एक्स स्थान पर सांवरनाथ की अंगूठा निशानी है, ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। जी से एच रिसीविंग लेने वाले के हस्ताक्षर हैं। इस मामले में अनुसंधान दिलीप सिंह एएसआई ने किया था, जिन्होंने मुकदमा हाजा में तीनों ट्रेक्टर को जरिए फर्द प्रदर्श पी–4 जब्त किया था, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। इस मामले में दिलीप सिंह ने उसके बयान भी लिए थे। उसके द्वारा अलोई हॉल्डर की संविदा की प्रति प्रमाणित करवाकर पुलिस को दी थी, जो प्रदर्श पी–11 है, जो ए से बी उसके कनिष्ठ अधिकारी पूरणमल सिंगारिया द्वारा हस्ताक्षरित व प्रमाणित है तथा उसके नियुक्ति कार्यालय आदेश प्रदर्श पी–12 है, जिस पर जो ए से बी उसके वरिष्ठ अधिकारी पूरणमल सिंगारिया द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित है। **जिरह** के दौरान गवाह ने कथन किया कि वह राजेन्द्र व गजेन्द्र को पहले से नहीं जानता था। विभाग द्वारा दिए गए पहचान पत्र से ही पहचानता है। वह देवेन्द्र, सांवरलाल व राकेश को पहले से नहीं जानता था। गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि उन तीनों के पहचान पत्र मौके पर नहीं देखे थे। गवाह ने यह सुझाव गलत बताया कि उसने मौके पर पंचनामा व फर्द जब्ती नहीं बनाई हो।

Authenticated document

11. गवाह पी.ड. 05 **दिलीप सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 29.03.2016 को पुलिस थाना भिनाय पर एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 तीर्थराज खान निदेशक सावर द्वारा थाने पर पेश की गई, जिस पर कार्यवाही सी से डी केसर सिंह जी द्वारा अंकित की गई, जिस पर ई से एफ उनके हस्ताक्षर हैं, जिस पर मुकदमा नंबर 107/16 अंतर्गत धारा 379 आईपीसी व 4/21 एमएमआरडी में दर्ज कर तफ्तीश उसके जिम्मे की। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–10 है, जिस पर सी से डी केसर सिंह के हस्ताक्षर हैं। परिवादी द्वारा पेश मौका पंचनामा फर्द जब्ती ट्रेक्टर व वाहन सुपुर्दगीनामा पत्रावली पर लिए गए तथा पेश किए गए तीनों ट्रेक्टरों की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 बनाई गई, जिस पर ए से एफ गवाहान के व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम राकेश, सांवरनाथ और देवेंद्र गुर्जर को जरिए फर्द क्रमशः 1, 2, 3 गिरफ्तार किया गया। गवाह तीर्थराज चौहान, राजेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह, शंकर लाल के बयान उनके बताएनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। मौके पर जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–13 तैयार किया, जिस पर ए से डी गवाहान के व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। पुष्ट पर हालात मौका अंकित है। परिवादी द्वारा पेश संविदा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–11 शामिल पत्रावली की गई जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं तथा नियुक्ति का कायार्लय आदेश प्रदर्श पी–12 शामिल पत्रावली किया गया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। जिस स्थान से अवैध खनन किया गया उसकी जमाबंदी और नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–5 व पी–6 शामिल पत्रावली की गई, जिस पर ए से बी पटवारी के हस्ताक्षर व सी से डी केसर सिंह के हस्ताक्षर हैं। कार्यवाही से संबंधित मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की गई जो प्रदर्श डी–1 है, जिस पर ए से बी केसर सिंह के हस्ताक्षर हैं। कार्यवाही के संबंध में जाब्ते की रवानगी और आमद की प्रदर्श पी–14 व पी–15 है जो ए से बी केसर सिंह के द्वारा प्रमाणित है। मुलजिमान व गवाहान के आई डी व दस्तावेज प्राप्त कर शामिल पत्रावली किए गए, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पत्रावली पर एकत्रित की गई समस्त साक्ष्य के आधार पर मुलजिम राकेश माली, सांवरनाथ और देवेंद्र गुर्जर के विरूद्ध धारा 379 आईपीसी व 4/21 एमएमआरडी में आरोप प्रमाणित मानते हुए पत्रावली वास्ते चार्जशीट तत्कालीन एसएचओ केसर सिंह नरूका के समक्ष पेश की गई, जिन्होंने पत्रावली अवलोकन किया तथा अनुसंधान से संतुष्ट होकर उपरोक्त मुलजिमान के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी केसर सिंह के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह साथ कार्य करने पहचानता है। **जिरह** के दौरान गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि तीर्थराज सिंह चौहान ने उसे कोई नक्शा मौका बनाकर नहीं दिया तथा यह सुझाव सही बताया कि नदी में किसी तरह का डिमार्केशन व हथबंदी नहीं हो

रखी थी तथा कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था और कोई नाका व कांटा भी नहीं लगा हुआ था। गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि उसने आरटीओ से वाहनों के दस्तावेज संबंधी मांग या जानकारी नहीं मांगी थी। गवाह ने कथन किया कि उसे आज याद नहीं है कि गजेन्द्र व राजेन्द्र नाम के लोगों को तीर्थराज अपने साथ लाया हो, उसके साथ आदमी तो थे। गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि उसने खनन व राजस्व विभाग से मौके की तस्दीक नहीं करवाई तथा यह सुझाव सही बताया कि उसने राकेश, सांवरनाथ व देवेंद्र को मौके से गिरफ्तार नहीं किया तथा प्रकरण की जांच की कोई फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी नहीं की गई।

12. अधिवक्ता अभियुक्तगण का उक्त साक्ष्य के खण्डन में मुख्य एवं प्रथम बचाव यह रहा है कि जब्तीकर्ता/गवाह पी.ड. 4 ने अपने समस्त बयानों में यह स्पष्ट कथन नहीं किया है कि उसके द्वारा घटनास्थल से जो ट्रेक्टर मय ट्रॉली जब्त की गई थी, उनमें बजरी भरी हुई थी। अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा कि ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध उन पर आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अधिवक्ता अभियुक्तगण के उक्त तर्कों की रोशनी में पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम गवाह पी.ड. 4 तीर्थराज चौहान के बयानों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि गवाह द्वारा उसके द्वारा तीन ट्रेक्टर जब्त करने के कथन तो किए गए हैं, परंतु गवाह द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त ट्रेक्टरों में मौके पर बजरी भरी हुई थी। हालांकि गवाह द्वारा फर्द जब्ती प्रदर्श पी–8 व फर्द वाहन सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी–11 की पुष्टि की गई है तथा उक्त फर्दों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त फर्दों में ट्रेक्टर मय बजरी की जब्ती करना तथा ट्रेक्टर व बजरी को सुपुर्द किए जाने का अंकन किया गया है, परंतु उक्त फर्दों की पुष्टि में गवाह द्वारा न्यायालय में हुए अपने परीक्षण के दौरान यह स्पष्ट कथन नहीं किए गए हैं कि उसके द्वारा जिन ट्रेक्टरों की जब्ती की जाती थी, उनमें बजरी भरी हुई थी। इसी क्रम में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 5 दिलीप सिंह ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 उसके द्वारा बनाए जाने के कथन किए हैं, परंतु उक्त फर्द में यह अंकित नहीं किया गया है कि जो ट्रेक्टर मय ट्रॉली जब्त किए गए थे, उनमें बजरी मौजूद थी। इसी क्रम में पत्रावली पर प्रदर्श डी–1 के तौर पर प्रकरण से संबंधित मालखाने की प्रति प्रदर्शित हुई है। उक्त दस्तावेज में भी यह कहीं अंकित नहीं है कि ट्रेक्टर मय ट्रॉली में बजरी भी मौजूद रही हो। ऐसी स्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में यह संदेहास्पद हो जाता है कि मौके के गवाह पी.ड. 4 तीर्थराज चौहान ने उक्त ट्रेक्टर मय ट्रॉली के साथ बजरी भी जब्त की हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब्ती/मौके के गवाह राजेन्द्र व गजेन्द्र न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुए हैं, जिस कारण भी गवाह पी.ड. 4 तीर्थराज चौहान द्वारा मौके तथा जब्ती के संबंध में प्रदर्शित करवाए गए दस्तावेजात संदेहास्पद हो जाते हैं। यह सही है कि धारा 134 भारतीय साक्ष्य

अधिनियम 1872 के तहत गवाहान की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण गवाह की गुणवत्ता होती है, परंतु जहां गवाह पी.ड. 4 तीर्थराज चौहान के बयानों में कमी पाई गई है, उसकी पुष्टि हेतु मौके/जब्ती के शेष गवाहान को परीक्षित करवाना अनिवार्य था। फलतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेहास्पद हो जाते हैं।

13. अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा कि अभियुक्तगण को हस्तगत प्रकरण में झूठा फंसाया गया है तथा उनकी पहचान के संबंध में पत्रावली पर युक्तियुक्त एवं पर्याप्त साक्ष्य सामग्री मौजूद नहीं है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर मौजूद मौके के गवाह पी.ड. 4 तीर्थराज ने अपनी जिरह के दौरान यह कथन किया है कि वह देवेंद्र, सांवरलाल व राकेश को पहले से नहीं जानता था तथा यह सुझाव सही बताया है कि उन तीनों के पहचान पत्र मौके पर उसने नहीं देखे थे। पत्रावली पर मौजूद शेष सामग्री से भी यह सिद्ध नहीं होता है कि मौके पर अभियुक्तगण राकेश, देवेंद्र व सांवरनाथ मौजूद रहे हों। गवाह पी.ड. 4 तीर्थराज द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि मुलजिमान ने उसके पूछने पर अपने नाम सांवरा नाथ पुत्र बाबुलाल नाथ, राकेश पुत्र श्रीधर तथा इंद्र विजय पुत्र सांवरनाथ बताए थे। गवाह पी.ड. 5 ने जिरह के दौरान यह सुझाव सही बताया है कि उसने अभियुक्तगण को मौके से गिरफ्तार नहीं किया था। ऐसी स्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण की पहचान भी हस्तगत प्रकरण में संदेहास्पद है।

14. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि फौजदारी प्रकरणों में अभियोजन को अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन की कहानी में लेशमात्र भी संदेह उत्पन्न होता है तो उसका सीधा लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त होता है। उक्त् विधिक सिद्धांत की रोशनी में तथा उक्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में चूंकि अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व 4/21 एमएमआरडी एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

15. अतः अभियुक्तगण **1.** राकेश पुत्र श्रीधर, उम्र 20 साल, **2.** सांवरनाथ पुत्र बाबूनाथ, उम्र 20 साल, **3.** देवेन्द्र गुर्जर पुत्र सांवरलाल समस्त निवासीगण बड़ली थाना भिनाय, जिला अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय

Authenticated document

दण्ड संहिता व धारा 4/21 एमएमआरडी एक्ट के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

16. अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण को द्वारा धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत 10,000/– रुपये के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिये जाते हैं।

{ शुभम गुप्ता }
न्यायिक मजिस्ट्रेट, केकड़ी
जिला अजमेर

17. निर्णय व आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत्त न्यायालय में मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

{शुभम गुप्ता}
न्यायिक मजिस्ट्रेट, केकड़ी
जिला अजमेर

GULSHAN BAGORIA
Steno Gr III "Authenticated Document" Digitally signed by GULSHAN BAGORIA
Date: 2026.03.16 17:17:18 +0000